

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00161 (60/2018) राज. उप. (इ.गा.न.प. क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23

रामप्रताप पुत्र स्व० उदाराम आयु 57 वर्ष जाति जाट निवासी बड़ोपल बारानी तहीसल पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
—अपीलाण्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
—रेस्पोजेण्ट

विरुद्ध आदेश दिनांक 13.02.2018 उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 101/2018 बअनवानी तहसीलदार बनाम रामप्रताप

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक:-30.10.2019

1. सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1457 रकबा 8.855 है० भूमि रामप्रताप वल्द उदाराम जाति जाट के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज। सम्वत 2050 की जमाबंदी में उक्त रकबा में से 3 बीघा 8 बिस्वा आराजीराज व शेष घग्घर के नाम दर्ज है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है। यह भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती है। यह भूमि घग्घर जलभराव की भूमि है वो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। इस भूमि को बिना किसी जांच के आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरुद्ध किया गया है अतः आवंटन को रद्द किया जावे। विचारण न्यायलाय ने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित किया है। मूल आवंटन पत्रावली तलब किये बगैर एवं पूर्ण जांच किये बगैर गलत दस्तावेजात के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर भूमि पुख्ता आवंटित की गई थी। भूमि की सनद खातेदारी लेते समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर सनद खातेदारी जारी की थी इसलिए कयास के आधार पर रेस्पोजेण्ट के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर अहम कानूनी भूल की है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का 1981 से लगातार

कब्जा काश्त है। बिना किसी तथ्य के आधार पर एवं जांच कर्वाये बगैर ऐसा आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रकरण पर नियम 21 के प्रावधान लागू होते हैं। आवंटन के विरुद्ध प्रार्थी को नियम 30 के प्रावधानों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान है जिसकी मियाद 30 दिन है इसलिए आवंटन आदेश अन्तिम हो चुका है जिसके विरुद्ध रेस्पोंडेण्ट/प्रार्थी ने कोई कार्यवाही नहीं की है। आवंटन किस प्रकार नियम विरुद्ध है इसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को टीसी पर आवंटन थी जो नवीनीकरण होती रही बाद में इस भूमि को टीसी धारक होने के कारण पुख्ता आवंटन की गई है। टीसी धारक होने के कारण अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि को आवंटन कराने का हकदार था। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का आज भी कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि न तो घग्घर फ्लड की है व ना ही जलप्रवाह क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और न ही वन विभाग की भूमि है। यह खसरा काफी बड़ा था। प्रश्नगत भूमि घग्घर फ्लड के नाम की भूमि में से पृथक पुख्ता आवंटित भूमि थी के जल भरा क्षेत्र को मानने में तथ्यात्मक भूल की है। इस भूमि पर हमेशा काश्त होती रही है। घग्घर बहाव क्षेत्र से काफी दूर है। आवंटी द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के अन्तर्गत भी कोई आवंटन उसी स्थिति में खारिज हो सकता है जबकि आवंटी ने कोई तथ्य छिपाये हों। आवंटी ने कोई तथ्य नहीं छिपाये हैं। यह रकबा वर्तमान में बींझा देवी के नाम दर्ज है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2011 (1) आरआरटी पेज 602, 2005 (1) आरआरटी पेज 588, 2018 (1) आरआरटी पेज 299, 2018 (2) आरआरटी पेज 1007 एचसी, 2019 (1) आरआरटी पेज 226, 2016-17 आरआरटी पेज 242 व पेज 304, 2018 (1) आरआरटी पेज 152 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सम्वत 2050 की जमाबंदी में प्रश्नगत रकबा में से 3 बीघा 8 बिस्वा आराजीराज व शेष घग्घर के नाम दर्ज है। घग्घर का रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी रिट 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में प्रतिबंधित है। यह भूमि किसी अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती है। यह भूमि घग्घर जलभराव की भूमि है वो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। इस भूमि को बिना किसी जांच के आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरुद्ध किया गया है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरुद्ध किया गया था जो खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषक गण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोंडेण्ट संख्या 1/प्रार्थी के आवेदन पर विचारण न्यायालय ने ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1457 की 8.855 है। भूमि 3.08 बीघा भूमि आराजीराज व शेष भूमि घग्घर फ्लड के नाम दर्ज होने के कारण प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि यह भूमि घग्घर के नाम से दर्ज नहीं है प्रश्नगत भूमि घग्घर के नाम है, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी खतौनी संवत 2050 से होती है। प्रश्नगत भूमि घग्घर नाम दर्ज है एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी.रिट सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी यह प्रतिबंधित है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

यह प्रकट होता हो कि प्रश्नगत संवत् 2050 में घग्घर विभाग के नाम दर्ज न हो। संवत् 2050 से पूर्व की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि घग्घर फ्लड के नाम दर्ज होने के कारण तथ्यों को छुपाकर कराया गया आवंटन मानते हुए आवंटन निरस्त किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ हनुमानगढ़

